

बैंक प्रकरण संख्या 26/2022(GCMS : 2022/39) आवास फाइनेन्सर्स लि.
(Formerly known as AU Housing Finance Ltd.) पंजीकृत कार्यालय 201-202,
Second Floor, Southend Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur शाखा कार्यालय
राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई कम्पनी के ऊपर, शिव चौक,
श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/एरिया कलेक्शन मैनेजर प्रेम कुमार पुत्र
श्री सत्यनारायण बनाम 1. मनीराम पुत्र प्रहलाद 2. प्रेमलता पत्नि मनीराम
3. प्रवीण कुमार पुत्र श्री मनीराम 4. सरोज देवी पत्नि प्रवीण कुमार जाति धानका,
निवासी वार्ड नं 20, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर 5. अमरीक सिंह पुत्र
जसकरण सिंह निवासी वार्ड नं 2, चक 22 केएसडी, 2 एएस टाणी,
गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

21.03.2022



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मनीष कुमार भारद्वाज
उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन
किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 09.02.2022 को प्रस्तुत किया है
कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मनीराम, प्रेमलता, प्रवीण कुमार, सरोज देवी एवं
अमरीक सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 5.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये पांच
लाख मात्र) का ऋण दिनांक 11.07.2016 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की
एवज में अप्रार्थी मनीराम द्वारा अपनी सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 705) वार्ड
नम्बर 20 (क्षेत्रफल 990 वर्गफुट) तहसील सादुलशहर, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के
पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार
नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण
खाता दिनांक 30.04.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर
दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 27.01.2022 को
10,11,957/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चों के लिए ऋणियों
के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिनांक 11.10.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा दो समाचार पत्रों में भी धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाया है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मनीराम द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 705) वार्ड नम्बर 20 (क्षेत्रफल 990 वर्गफुट) तहसील सादुलशहर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मनीराम, प्रेमलता, प्रवीण कुमार, सरोज देवी एवं अमरीक सिंह को 5.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये पांच लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 11.07.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मनीराम द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 705) वार्ड नम्बर 20 (क्षेत्रफल 990 वर्गफुट) तहसील सादुलशहर, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.04.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 11.10.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.10.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है तथा दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 15.10.2021 को प्रकाशित करवाया है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी मनीराम की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 705) वार्ड नम्बर 20 (क्षेत्रफल 990 वर्गफुट) तहसील सादुलशहर, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबन्ध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.10.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 11.10.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण मनीराम, प्रेमलता, प्रवीण कुमार, सरोज देवी एवं अमरीक सिंह को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.10.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी प्रार्थी बैंक ने दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 15.10.2021 को प्रकाशित करवाया है जबकि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 3 के परन्तुक के अनुसार ऋणी जब धारा 13(2) के नोटिस से बचने का प्रयास करता अथवा लेने से इंकार करता है तो ऋणी के निवास स्थान/सम्पत्ति पर धारा 13(2) के नोटिस की चस्पादंगी के पश्चात दो

समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाना चाहिए था। परन्तु जब अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये धारा 13(2) के नोटिस की तामिल पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक के अनुसार हो गई है तो नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामिल रजिस्टर्ड डाक से होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अप्रार्थी मनीराम के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंस लि. का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2022 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी मनीराम द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई गई सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 705) वार्ड नम्बर 20 (क्षेत्रफल 990 वर्गफुट) तहसील सादुलशहर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मिणी रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर